उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड की कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रथम बैठक दिनांक 10 मई, 2010 का कार्यवृत्त

उपस्थितः–

1. डा0 विनय कुमार पाठक, कुलपति	अध्यक्ष
2. डा0 जे0के0 जोशी, निदेशक	सदस्य
3. डा0 अशोक सिंह, निदेशक	सदस्य
4. डा0 एम0पी0 सिंह, निदेशक	सदस्य
5. डा0 (श्रीमती) अनिल बिष्ट, निदेशक	सदस्य
6. डा0 अजय रावत, निदेशक	सदस्य
7. डा0 बी0 कुमार, निदेशक संचार, पंत वि0वि0	सदस्य
8. डा0 बी0आर0 पंत, कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न भी विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित हुएः–

1. श्रीमती जयन्ती हयांकी, वित्त नियंत्रक
2. श्री डी0के0 सिंह, उपकुलसचिव
3. श्री महिपाल बिष्ट, सहायक कुलसचिव
4. श्री एम0सी0 जोशी, सहायक कुलसचिव
5. डा0 मंजरी अग्रवाल, शैक्षणिक परामर्शदाता
6. श्री पी0सी0 पपनै, प्रशासनिक परामर्शदाता
7. श्री एन0सी0 पाण्डेय, प्रशासनिक परामर्शदाता
8. श्री गिरीश छिमवाल, शैक्षणिक परामर्शदाता
9. श्री रंजन कुमार पाण्डे, वरिष्ठ परामर्शदाता
10. श्री अनुग्रह भारद्वाज, परामर्शदाता

बैठक के आरम्भ में कुलपति द्वारा सभी सदस्यगणों एवं अन्य का स्वागत करते हुये, विश्वविद्यालय के स्वरूप पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिये सभी से सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की। यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि सभी पाठ्यक्रमों को यथा सम्भव प्रदेश के अति दुर्गम तथा दूरस्थ स्थान तक पहुँचाया जाय। इस दिशा में कार्य हेतु विभिन्न अंचलों में अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने के उद्देश्य से इस संबंध में स्थलीय निरीक्षण कर सम्भावनाओं का आंकलन करने लिये निरीक्षण दलों का गठन कर उनके माध्यम से अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक संस्थाओं से आवेदन प्राप्त किये गये। परीक्षणोपरान्त ऐसे अध्ययन केन्द्रों को जो पाठ्यक्रम चलाने के लिये उपयुक्त समझे गये हैं उन्हें विचारार्थ आज की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर्वप्रथम मान्यता बोर्ड के कृत्यों एवं शक्तियों तथा क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक अधिनियम एवं परिनियमों की व्यवस्था से परिषद को अवगत कराया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यसूची टिप्पणी पर विचार–विमर्श आरम्भ किया गया तथा निम्न संस्तुतियां की गयीः–

क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापनाः– परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 5 (11) तथा अध्यादेश की अध्याय 05 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुये मत व्यक्त किया कि क्षेत्रीय केन्द्र उसके अधीन संचालित सभी अध्ययन केन्द्रों पर संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन, प्रवेश संबधी कार्य, परिनियमों एवं अध्यादेशों की

व्यवस्थानुसार पठ्न–पाठ्न एवं समय–समय पर ऐसाइन्मैन्टस (सत्रीय कार्य) का मूल्यांकन, परीक्षाओं के संचालन का परिवीक्षण करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश आदि का अध्ययन केन्द्रों द्वारा परिपालन किया जा रहा है। क्षेत्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय एवं उनके उस क्षेत्र के अधीन चल रहे अध्ययन केन्द्रों के बीच सेतु का कार्य करेगा तथा उसके अधीन सभी अध्ययन केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखेगा तथा जहॉ आवश्यक हो विश्वविद्यालय से निर्देश प्राप्त करेगा। अध्यक्ष द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 22.02.2010 में पारित संकल्पानुसार विश्वविद्यालय के निम्न आठ क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना, प्रभारियों की नियुक्ति तथा उन्हें मानदेय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्नुसार ही निम्न स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर उनमें निदेशक तथा सहायकों का नियोजन किया गया है:–

गढ़वाल मंडल:– देहरादून, रूड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी

कुमॉयू मंडल:– हल्द्वानी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, द्वाराहाट

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिये मानक/मापदण्ड:–

बिन्दु संख्या 3.1:– **अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु अपेक्षित सुविधायें:–** अध्ययन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते समय यह सुनिश्चत किया जाय कि संस्था में आधारभूत सुविधायें जैसे:– भवन, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें एवं शिक्षक आदि उपलब्ध हैं। यदि इनमें से कोई व्यवस्था न हो तो उसे एक निश्चित्त अवधि उपलब्ध कराने की वचन बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान की जाय। प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों के संबंध में संलग्नक–1 पर प्रस्तुत प्रपत्र का अनुमोदन किया गया जिसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या 3.2:– **विद्यार्थियों के सुविधाओं के उपयोग की अनुमति:–** विश्वविद्यालय के पंजीकृत विद्यार्थियों को पुस्तकालय/प्रयोगशाला एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध होंगीं इस आशय की सहमति संस्था एवं विश्वविद्यालय के बीच होनी सुनिश्चित की जाय तथा इससे केन्द्र पर पंजीकृत विद्यार्थियों को भी अवगत करा दिया जाय।

बिन्दु संख्या 3.3:– **अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप:–**अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक निर्धारित प्रारूप जो इस बिन्दु के संलग्नक–2 रूप में प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया गया जिसके आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिये निर्णय ले सकेगा।

बिन्दु संख्या 3.4:– **अध्ययन केन्द्र हेतु पंजीकरण, मान्यता शुल्क एवं धरोहर राशि:–**अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में आवेदन शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को निम्नवत् रखे जाने की संस्तुति की गयी:–

i. राजकीय शिक्षण संस्थायें — कुछ नहीं

ii. अनुदानित तथा स्ववित्तपोषत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं — रू0 1000.00

iii. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत अन्य संस्थाएं — रू0 1000.00

संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु रू0 10000.00 की राशि जमा करने पर सहमति व्यक्त की गयी जो किसी भी दशा में लौटायी नहीं जायेगी परन्तु किसी विशेष प्रकरण में जहॉ कुलपति द्वारा गठित समिति संस्तुति करती है कि इस राशि में कमी कर दी जाय अथवा उसे पूर्णतः माफ कर दिया जाय, ऐसा किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुये इस राशि को किसी अंश तक कम अथवा पूर्णरूपेण समाप्त करने पर कुलपति द्वारा विचार किया जा सकता है।

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु संस्था को निम्नानुसार धरोहर राशि जमा करने पर सहमति व्यक्त की गयी जो अध्ययन केन्द्र एफ0डी0आर0, जो संबंधित केन्द्र एवं विश्वविद्यालय के नाम से होगा, विश्वविद्यालय में धरोहर के रूप में जमा करना होगा जिसका मूल धन एवं उस पर अर्जित व्याज संबंधित संस्था का होगा।

1. स्टडी सेन्टर (अध्ययन केन्द्र) — रू0 पचास हजार
2. प्रोग्राम स्टडी सेन्टर (कार्यक्रम अध्ययन केन्द्र) — रू0 पच्चीस हजार
3. स्पेशल स्टडी सेन्टर (विशेष अध्ययन केन्द्र) — रू0 दस हजार

बिन्दु संख्या 3.5:– एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रों का विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण एवं जहॉ संबंधित संस्था के केन्द्र नहीं है वहॉ अपने केन्द्र स्थापित करने का अधिकारः–

विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्थाओं से आवश्यकतानुसार अनुबंध किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी परन्तु ऐसे सभी केन्द्रों का विश्वविद्यालय मापदण्डों/मानकों का पालन किया जाना सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जहॉ अनुबन्ध से संबंधित संस्था का अपना कोई केन्द्र स्थापित न हो वहॉ यदि विश्वविद्यालय उन पाठ्यक्रमों को भी संचालित कर सकेगा जो अन्यथा अनुबंध किये गये संस्था द्वारा चलाये जाते।

बिन्दु संख्या 3.6:– परामर्शदाताओं तथा अन्य शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति/नियोजनः–अध्ययन केन्द्रों के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले सेवारत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों, शोध छात्रों या अन्य व्यक्तियों से परामर्श सत्रों, प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक कार्य का सम्पादन कराये जाने हेतु नियुक्ति/नियोजन क्षेत्रीय निदेश द्वारा किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। विशिष्ट विधाओं में शिक्षा के स्तर से कोई समझौता न करते हुये विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से भी परामर्श कार्य लिये जाने पर भी सहमति व्यक्त की गयी परन्तु इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के नियोजन पर विशेषज्ञों की समिति गठित कर कुलपति से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यकीय होगा।

बिन्दु संख्या 3.7:— **अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु निरीक्षण की व्यवस्थाः**—अध्ययन केन्द्र की स्थापना की तथा उसमें संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की अनुमति तभी दी जाय जब इस निमित्त गठित की जाने वाली समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण कर लिया जाय। समिति की संस्तुति पर विचारोपरान्त प्रवेश प्रभारी तथा कुलसचिव के माध्यम से कुलपति को प्रस्ताव के संलग्नक–3 पर दिये गये प्रारूप पत्र पर प्रस्तुत आख्या के आधार पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने/नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान की गयी परन्तु ऐसे पाठ्यक्रमों जिनके लिये निरीक्षण अपेक्षित न हो, अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

बिन्दु संख्या 3.8:— **अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुबंध पत्र (एम0ओ0यू0) किये जाने की व्यवस्थाः**—अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति की दशा में संस्था/निकाय/अन्य के मध्य इस बिन्दु के साथ प्रस्तुत संलग्नक–4 के अनुसार पारस्परिक सहमति का अनुबंध पत्र (मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेन्डिग) जो दोनों पक्षों के लिय समान रूप से बाध्यकारी होगा, किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या 3.9:— **अध्ययन केन्द्रों द्वारा अध्ययन की गुणवत्ता एवं मानकों को पूर्ण किया जानाः**—शैक्षणिक गुणवत्ता एवं अन्य मानकों को अध्ययन केन्द्र द्वारा पूर्ण किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण दलों के गठन पर सहमति व्यक्त की गयी। निरीक्षण दल अपनी आख्या कुलपति को प्रस्तुत करेंगें और यदि किसी केन्द्र के बारे में निरीक्षण दल द्वारा मानकों एवं शैक्षणिक स्तर को न बनाये रखने की सूचना दी जाती है अथवा किसी केन्द्र द्वारा अनुबंध पत्र का परिपालन न किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, ऐसे अध्ययन केन्द्र को परीक्षणोपरान्त बन्द किये की कार्यवाही किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी परन्तु ऐसा किये जाने की दशा में उस अध्ययन केन्द्र पर अध्ययरत छात्र को विकल्प दिया जायेगा कि वह इस केन्द्र से अवशेष पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहता है। छात्र द्वारा विकल्प न दिये जाने की दशा में विश्वविद्यालय उस छात्र को किसी अन्य निकटस्थ अध्ययन केन्द्र पर स्थान्तरित कर सकेगा तथा आनुपातिक रूप से शुल्क को भी पूर्व केन्द्र से अनुवर्ती केन्द्र पर स्थान्तरित कर सकता है।

बिन्दु संख्या 3.10:— **मानकों में शिथिलता दिये जाने की व्यवस्थाः**—परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा मत व्यक्त किया गया कि निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यकीय है तथापि यदि कुलपति संतुष्ट हों कि किन्हीं कारण विशेष, जो अभिलिखित किये जायेगें, मानकों एवं

मापदण्डों को अपरिहार्य कारणों से पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं था, शिथिलता प्रदान करने पर विचार कर सकेंगें।

बिन्दु संख्या 3.11:– **क्षेत्रीय निदेशक द्वारा समस्या के तात्कालिक निदान की व्यवस्थाः**–परिषद ने मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं समय–समय पर निर्गत अध्यादेशों, विनियमों अथवा अन्य कार्यकारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय निदेशकों का दायित्व है परन्तु यदि किसी तात्कालिक समस्या के निदान हेतु कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम, परिनियम एवं समय–समय पर निर्गत अध्यादेशों, विनियमों अथवा अन्य कार्यकारी आदेशों से आच्छादित नहीं होते परन्तु समस्या के निदान के लिये किया गया, ऐसे कृत्य को यथा शीघ्र कुलपति के संज्ञान में लाया जायेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

बिन्दु संख्या 3.12:– **अध्ययन केन्द्रों की स्थापना संबंधी सूचनाः**– प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति व्यक्त की गयी कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अध्ययन केन्द्रों के स्थापना हेतु माह अप्रैल–मई में विज्ञापन करेगा तथा उसे वर्ष भर विश्वविद्यालय वेब साइट पर भी रखेगा परन्तु कोई भी संस्थां वर्ष भर अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन कर सकेगी। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर वर्ष में दो बार यथा माह जून तथा दिसम्बर में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्णय लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या 3.13:– **अध्ययन केन्द्र के कार्मिकों को अनुमन्य मानदेयः**–अध्ययन केन्द्रों पर प्राचार्य, समन्वयक, परामर्शदाता एवं अन्य कर्मचारियों को दिये मानदेय, ऐसाइन्टमेन्ट के मूल्याकंन हेतु पारिश्रमिक, जो अध्ययन केन्द्रों द्वारा वहन किया जायेगा को निम्नानुसार निर्धारित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयीः–

(अ) प्राचार्य, समन्वयक एवं कार्यालय कर्मचारियों को प्रस्तावित मानदेयः–

अध्ययन केंन्द्र आवश्यकतानुसार प्राचार्य, समन्वयक एवं अन्य कर्मचारियों से कार्य सम्पादित करायेगा जिन्हें प्रतिमाह न्यूनतम निम्नवत् मानदेय देय होगा जो अध्ययन केन्द्रों को शुल्क के रूप में प्राप्त आय से वहन किया जायेगाः–

क0सं0	पदनाम	मार्ग व्यय (रू0)	न्यूनतम पारिश्रमिक (रू0)	योग (रू0)
1.	प्राचार्य	300.00	700.00	1000.00
2.	समन्वयक	300.00	1500.00	1800.00
3.	सहायक समन्वयक	300.00	500.00	800.00
4.	कार्यालय सहायक	100	500.00	600.00
5.	कार्यालय परिचर	100	400.00	500.00
6.	स्वच्छता कर्मचारी	100	400.00	500.00
7.	ऐसाइन्मैन्ट (सत्रीय कार्य) मूल्याकंन	–	15 प्रति ऐसाइन्मैन्ट	–

यदि किसी केन्द्र पर एक हा व्याक्त प्राचार्य एवं समन्वयक का कार्य सम्पादित कर रहा हो तो उसे एक ही मानदेय अनुमन्य होगा। यही व्यवस्था अन्य के लिये भी लागू मानी जायेगी।

अध्ययन केन्द्रों द्वारा मानदेय के रूप में किये गये भुगतान तथा अन्य व्ययों की प्रतिलिपि प्राचार्य द्वारा सत्यापित कर विश्वविद्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जाय।

(ब) परामर्शदाता (Counsellor) का मानदेयः–

काउन्सिलिंग के लिए भुगतान की दरें निम्नवत् संस्तुत की जाती है जिन्हें समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता हैः–

क0 सं0	कार्यक्रम	मानदेय प्रतिसत्र*	मार्ग व्यय न्यूनतम	
1.	स्नातक, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट व व्यवसायिक कार्यक्रम (कम्प्यूटर कार्यक्रम को छोड़कर)	200.00	रू0 25.00 (प्रति दिवस)	महानगरों में मार्ग व्यय की दरें रू0 30/– प्रतिदिन की दर से दिया जायेगा।
2.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	250.00	रू0 25.00 (प्रति दिवस)	–तदैव–
3.	एम0बी0ए0	400.00	रू0 25.00 (प्रति दिवस)	–तदैव–
4.	BBA	300.00	रू0 25.00 (प्रति दिवस)	महानगरों में मार्ग व्यय की दरें रू0 30/– प्रतिदिन की दर से दिया जायेगा।
5.	सभी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के प्रयोगात्मक कार्य	200.00	रू0 25.00 (प्रति दिवस)	–तदैव–
6.	एम0सी0ए0	400.00	रू0 25.00 (प्रति दिवस)	–तदैव–

* एक सत्र 2 घण्टे का होगा।

बिन्दु संख्या 3.14:– **वर्ष 2010–2011 में अध्ययन केन्द्रों हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में सूचनाः**–परिषद वर्ष 2010–11 के लिये प्राप्त आवेदनों एवं उनके आधार पर आवंटित 147 अध्ययन केन्द्रों से अवगत हुई ।

बिन्दु संख्या 3.15:– **काउन्सिलिग के संबंध में निर्देशः**–परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि प्रशिक्षुओं एवं काउन्सलर के बीच पारस्परिक तारतम्य हेतु आमने–सामने बैठकर विचार–विमर्श एवं कठिनाइयों का निवारण किया जाय। साथ ही काउन्सलिंग सत्र अवकाश दिवसों एवं रविवारों को आयोजित किये जायं तथा उन्हें और कारगर बनाने के लिये ग्रुप डिसकशन की व्यवस्था की जाय तथा इस निमत्त समय सारणी बनाकर विद्यार्थियों को संसूचित भी की जाय इसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को भी प्रेषित की जाय। इस व्यवस्था का लाभ उन अभ्यर्थियों द्वारा भी लिया जा सकता है जो भविष्य में विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक हों।

बिन्दु संख्या 3.16:– **छात्र संख्या एवं भवन आदि के मानकः**–छात्र संख्या एवं भवन आदि के मानकों के संबंध में परिषद द्वारा प्रस्तुत निम्न विवरणानुसार स्टडी सेन्टर, प्रोग्राम स्टडी सेन्टर एवं विशेष स्टडी सेन्टर स्थापित किये जाने पर सहमति व्यक्त कीः–

क्षेत्र	स्टडी सेन्टर			प्रोग्राम स्टडी सेन्टर			विशेष स्टडी सेन्टर		
	परम्परागत पाठ्यक्रम में छात्रो की न्यूनतम संख्या	व्यवसायिक पाठ्यक्रम में छात्रो की न्यूनतम संख्या	निर्मित क्षेत्र वर्ग फिट में	परम्परागत पाठ्यक्रम में छात्रो की न्यूनतम संख्या	व्यवसायिक पाठ्यक्रम में छात्रो की न्यूनतम संख्या	निर्मित क्षेत्र वर्ग फिट में	परम्परागत पाठ्यक्रम में छात्रो की न्यूनतम संख्या	व्यवसायिक पाठ्यक्रम में छात्रो की न्यूनतम संख्या	निर्मित क्षेत्र वर्ग फिट में
मैदानी (शहरी)	50	20	3000–4000	50	20	1500–2000	–	–	–
मैदानी (ग्रामीण)	30	15	2500–3000	30	15	1000–1500	*	*	*
पर्वतीय (शहरी)	30	15	2500–3000	30	15	1000–1500	–	–	–
पर्वतीय (दुर्गम)	25	10	1500–2000	25	10	800–1000	*	*	*
पर्वतीय (अतिदुर्गम)	15	05	1500–2000	15	05	800–1000	*	*	*

* समिति की संस्तुति पर जैसा कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

बिन्दु संख्या 3.17:– प्रस्तावित नये पाठ्यक्रमः–परिषद द्वारा प्रस्तावानुसार निम्न नये पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की संस्तुति कीः–

(i) MBA/MCA/B.Ed./M.Ed. कार्यक्रमों के लिए मानकों का निर्धारण UGC/DEC एवं NCTE/AICTE की जैसा अनुमन्य हो Joint/Separate Committee द्वारा संस्तुत दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में नियमानुसार/स्नातक स्तर हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होगी अथवा नॉन 10+2 हेतु बी0पी0पी0 प्रोग्राम के बाद।

(iii) प्रसार कार्यक्रमों को Non- Credit कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किया जाय।

बिन्दु संख्या 3.18:– संक्रमणकालीन व्यवस्थाः–समिति द्वारा परिस्थिती विशेष में क्षेत्रीय केन्द्र अथवा अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु कुलपति को अधिकृत करने पर सहमति व्यक्त की परन्तु इस व्यवस्था के अनुसार दी गयी स्वीकृति को मान्यता परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करने के उपरान्त समाप्त हुई।

(बी0आर0 पंत)
कुलसचिव